

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(अनुभाग-1)


प.5(1)प्रसु/सम/अनु-1/2008 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 31.07.2018

आज्ञा

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फोटो युक्त मतदाता सूचियों का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम दिनांक 31 जुलाई, 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक निर्धारित किया गया है।

अतः फोटोयुक्त मतदान सूचियों के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों/कर्मचारियों यथा जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारियों (अति. जिला कलक्टर), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (उपखण्ड अधिकारी /सहायक कलक्टर)/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों/पदाभिहित अधिकारियों/सुपरवाइजरो के पद पर सामान्यतया फील्ड स्तर पर कार्यरत विभिन्न स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरणों पर दिनांक 31 जुलाई, 2018 से 27 सितम्बर, 2018 तक प्रतिबन्ध लगाया जाता है। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अवधि में, अत्य आवश्यक मामलों में आयोग/मुख्य निर्वाचन अधिकारी की पूर्व अनुमति से ही उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों के स्थानान्तरण/पदस्थापन के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाएंगे।


(सुदर्शन सेठी)

अतिरिक्त मुख्य सचिव

मानक वितरण